संख्या-273/2017/413/69-1-2017-125(अ०सं०-37)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2018

विषयः शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-मऊ की 12 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5671/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 22 मार्च, 2017 एवं पत्र संख्या-3548/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2013-14, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मऊ की नगर पालिका परिषद, मऊ की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 12 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-845/2016/2802/69-1-16-125(अ०सं०-37)/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा रू0 292.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 146.415 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 146.415 लाख (रूपये एक करोड़ छियालिस लाख इकतालिस हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः......2

783

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,
31/1/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-273 /2017/413(1)/69-1-2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 273 /2017/413/69-1-2017-125(अ०सं०-37)/2014 दिनांक 31 मार्च, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	मऊ	न०पा०परि० मऊ	वार्ड संख्या-31 बुलाकी पूरा में मंजूर के मकान से वशीम, मुख्तार व बकलु के मकान होते हुये बच्चा के हाता तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	29.60	14.80
2	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-21 प्यारे पूरा में खुर्शीद के मकान से महफुजुर्रहमान के मकान होते हुये सुशील के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	21.19	10.595
3	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-21 प्यारे पूरा में ईशा के मकान से मस्जिद होते हुये समीउल्लाह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	18.38	9.19
4	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-27 डोमन पुरा में (जफर नगर) में इर्शाद के मकान से अताउर्रहमान, आरिफ के मकान होते हुये सईद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	22.53	11.265
5	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-27 डोमन पुरा (जफर नगर) में अबूल कैश के मकान से जोजैर के मकान होते हुये जाहिर हसन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	12.27	6.135
6	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-27 डोमन पुरा जफर नगर में जियाउल के मकान से गुफरान व जकरिया के मकान होते हुये इर्शाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	24.33	12.165
7	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-27 डोमन पुरा जफर नगर में मुम्ताज के मकान से अबूलैश, अनीस व शकूर के मकान होते हुये वहीद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	28.44	14.22
8	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-11 भटकुआं पट्टी में राजू के मकान से मुनव्वर व नुरूल हसन के मकान होते हुये एकबाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	9.27	4.635
9	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-17 मदन पुरा में मास्टर इरशाद के मकान से मुम्ताज व सलाहुद्दीन के मकान होते हुये न्याज इस्लाम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	31.62	15.81
10	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-17 मदन पुरा में मोबीन के मकान से समीर, मुल्ला जी इस्माईल के मकान से होते हुये अली अनवर व ज्याउलहक के मकान तक	32.93	16.465

http://shasanadesh.up.nic.in

			इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।		
11	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-17 मदन पुरा में एहसान के मकान से ज्याउल हसन मस्जिद तक, अबू हनीफ व परवेज के मकान से सेराज व इश्तेयाक मुख्तार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	34.87	17.435
12	तदैव	तदैव	वार्ड संख्या-17 मदन पुरा (गोलव्वा) में हाजी सगीर के मकान से इर्शाद पप्पू व शमीम के मकान होते हुये हिफजुर्रहमान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	27.40	13.70
			योग	292.83	146.415

(रूपये एक करोड़ छियालिस लाख इकतालिस हजार पांच सौ मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in